प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.06.2025

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा "Alert Wheels" अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले लोगों व वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

दिनांक 17.06.2025 को ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"Alert Wheels" अभियान** के तहत बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना नम्बर प्लेट, गलत दिशा से आने वाले लोगों आदि के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत पुलिस टीम द्वारा 46 स्थानों पर चेकिंग कर 1425 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 754 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	चैक किये गये व्यक्तियों की संख्या	चालान किये गये वाहनों की संख्या
1	इन्दिरापुरम	400	210
2	खोडा	130	74
3	कौशाम्बी	170	105
4	साहिबाबाद	285	192
5	लिंक रोड	130	65
6	शालीमार गार्डन	150	28
7	टीला मोड	160	80
कुल योग		1425	754

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब बरामद।

दिनांक 17.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्रीचन्द निवासी विजय मण्डी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 62 वर्ष को बंबा रोड़ प्रीत विहार के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा-60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं ठेके से शराब खरीद कर लाभ कमाने के लिए चोरी-छिपे अधिक दाम पर ठेका बन्द होने के बाद बेच रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अनिल कुमार पुत्र स्व श्रीचन्द उम्र 62 वर्ष निवासी विजय मण्डी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 62 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

20 पाउच अवैध देशी शराब बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 29.03.2025 को वादी श्री नवीन कुमार निवासी कृष्णा नगर बागू गाजियाबाद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना दी गयी कि दिनांक 28/29.03.2025 की रात्रि में किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से उसके 02 मोबाइल फोन आदि चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल अन्तर्गत धारा-305 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 18-06-2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा निरीक्षण घटना स्थल एवं आस-पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व मैनुअल इनपुट आदि अथक प्रयासों से घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त संजीत कुमार पुत्र जियालाल निवासी म0नं0 315 ठेके के पास वाली गली नं0 6 कृष्णा नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ, बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त संजीत कुमार उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि कुछ महीने पहले मैंने कृष्णानगर बागू से एक घर से 02 मोबाइल फोन चोरी किये थे, जिनमें से 01 मोबाइल फोन मैंने राह चलते आदमी को बेच दिया था और उससे जो रुपये आये थे वो मैंने खर्च कर दिये। उसी चोरी का 01 मोबाइल फोन बचा था जिसको मैं बेचने की फिराक में लगा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

संजीत कुमार पुत्र जियालाल निवासी म0नं0 315 ठेके के पास वाली गली नं0 6 कृष्णा नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.05.2025 को थाना मसूरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नाहल में हुयी पुलिस सिपाही की हत्या की घटना के सम्बध में थाना मसूरी के मु0अ0सं0-152/25 धारा- 191(2)/ 191(3)/ 190/131/ 125/ 121(2) / 132/ 109(1)/ 103(1)/ 61(2) /50/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्त राहत पुत्र अबरार निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी उम्र करीब 40 वर्ष को आज दिनांक 18.06.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा एहसान कट कस्बा मसूरी से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

पूछताछ के दौरान अभियुक्त राहत ने बताया कि मेरे गांव के कादिर पर कई मुकदमें दर्ज है, नोएडा पुलिस जिस दिन कादिर को पकडने आयी थी तो पुलिस टीम को गांव के लोगों द्वारा घेर लिया गया था तथा पथराव व फायरिंग की गयी थी जिसमें एक सिपाही की गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी मैं भी उस घटना में शामिल था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

राहत पुत्र अबरार निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

राहत उपरोक्त पर थाना मसूरी में 01 अभियोग पजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।